

सहपिडिया-यूनेस्को योजना शोधवृत्ति- 2019

अनुबंध 5

नियम एवं शर्तें

निम्नलिखित शर्तों की पूर्ती पर ही चयनित अभ्यर्थियों को सहपिडिया-यूनेस्को 2019 शोधवृत्ति दी जाएगी.

1. चयनित अभ्यर्थियों को अपना शोध 1 सितम्बर, 2019 से ले कर 15 मार्च 2020 यानी 28 सप्ताह के अंदर पूरा करना होगा.
2. सहपिडिया के हर मोड्यूल में एक अवलोकन आलेख (ग्रंथसूची के साथ), या एक लघु वृत्तचित्र (उपशीर्षक तथा संक्षिप्त परिचय के साथ), सहायक/ विशेष मुद्दों वाले आलेख (ग्रंथसूची के साथ), विद्वान् तथा कलाकार के साथ साक्षात्कार (लिखित प्रतिलिपि के साथ), विडियो, ऑडियो क्लिप, छवि दीर्घा तथा फोटो आलेख होते हैं. आवेदन-पत्र में चयनित विकल्प के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को यह सभी प्रदेय जमा करने होते हैं. प्रदेयों को दिए गए समयसीमा के भीतर जमा करना अनिवार्य है. लेखन तथा दस्तावेज़ीकरण के लिए सहपिडिया के अपने मानक हैं, जिसके लिए आप अनुबंध 4 देख सकते हैं.
3. शोधवृत्ति की कुल राशि 44,445 रू है, जिसमें मानदेय सहित शोध के दौरान होने वाले सभी खर्च शामिल हैं. आय कर अधिनियम, 1961 के तहत इस राशि पर स्रोत पर कर की कटौती होगी, जिसके बाद शोधार्थी को 40,000 रू की राशि मिलेगी. क्षेत्रीय भाषाओं में शोध करने वाले अभ्यर्थियों को अनुवाद के लिए 10,000 रू तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी. इस राशि

के लिए अभ्यर्थी को अनुवाद सौंपने के बाद बिल जमा करना होगा. इस शोधवृत्ति के अलावा किसी भी अन्य राशि का प्रावधान नहीं है.

4. ऊपर अंकित राशि को सहपिडिया द्वारा तीन खंडों में दिया जाएगा. पहले खंड में कुल राशि का 20% चयनित अभ्यर्थी के साथ करार पूरा होने बाद दिया जाएगा. दूसरे खंड में 40% राशि पहले दो प्रदेयों को जमा करने पर दी जाएगी. आखिरी 40% राशि सहपिडिया की संतुष्टि के अनुसार समयसीमा के भीतर शोध जमा करने पर दी जाएगी. क्षेत्रीय भाषाओं में काम कर रहे अभ्यर्थियों को अनुवाद की राशि, उनके द्वारा जमा अनुवाद के संतोषजनक जांच के बाद, जमा किये गए बिल के आधार पर दी जाएगी.
5. चयनित अभ्यर्थी के द्वारा अपना पैन कार्ड, कैन्सेल्ड चेक/ बैंक खाता विवरण तथा करार पर हस्ताक्षर के बाद उसकी प्रति औपचारिक तौर पर जमा करने के बाद ही शुरूआती 20% किस्त का भुगतान किया जाएगा.
6. आगे की किस्तें सहपिडिया द्वारा प्रदेयों की संतोषजनक जांच के बाद ही दी जाएगी. आम तौर पर सहपिडिया इस जांच के लिए चार से छः सप्ताह का समय लेती है. राशि का भुगतान इस अवधि के बाद ही किया जाएगा.
7. ईमेल के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा एक मासिक प्रगति रिपोर्ट अपेक्षित है. पहले महीने में शोध-संबंधित प्रारंभिक बजट जमा किया जाना चाहिए.
8. इस मोड्यूल के लिए सृजित सामग्री सहपिडिया के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी. इंटरनेट का प्रयोग शोध तथा ज्ञान की व्यापकता बढ़ाने तथा रचनाकारों को श्रेय देते हुए रचनात्मकता के उत्साहवर्धन के लिए सहपिडिया क्रिएटिव कॉमन्स दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है. सहपिडिया (CC-BY-SA 4.0) के बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के तहत इसे अनुज्ञापित किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को उनके शोध का श्रेय दिया जाएगा.

9. सहपिडिया तथा यूनेस्को को यह अधिकार होगा कि जमा किये गए शोध में से कोई भी हिस्सा या पूरा शोध बिना किसी अतिरिक्त भुगतान या अनुमति के किसी भी माध्यम के लिए अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग कर सके. ऐसी स्थिति में शोधकर्ता को श्रेय दिया जाएगा.
10. असंतोषजनक या अनुचित लगने की स्थिति में या अन्य किसी भी कारण से वेबसाइट से सामग्री हटाने का पूर्णाधिकार सहपिडिया का पास होगा.
11. अगर सहपिडिया तथा यूनेस्को की जानकारी के बगैर शोध या शोध का हिस्सा किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तो इसकी जवाबदेही सहपिडिया या यूनेस्को की नहीं है.
12. अगर जमा किये गए शोध पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग या उल्लंघन का दावा किया जाता है तो इस विषय में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (कॉपीराइट कानून) के अनुभाग 51, 63 तथा 65 के तहत सहपिडिया एवं यूनेस्को की कोई जवाबदेही नहीं होगी. शोधार्थी द्वारा जमा की गयी रचना मौलिक होनी चाहिए. वह किसी भी अन्य माध्यम से नहीं ली जानी चाहिए. जमा की गयी सभी रचनाओं की एंटी-प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेर द्वारा बारीक जाँच होगी.
13. अगर किसी तीसरे पक्ष के द्वारा शोध सामग्री के किसी अंश या पूरी सामग्री द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन का दावा किया जाता है तो सहपिडिया तथा यूनेस्को और इनसे संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों तथा मातहतों (जिन्हें हम 'क्षतिपूरित पक्ष' संबोधित करेंगे) के खिलाफ किसी भी दावा, मुकदमा, मांग, कार्यवाई, कानूनी कार्यवाही, न्यायिक फैसला, निर्धारण, कोताही का आरोप तथा किसी भी किस्म के नुकसान की भरपाई, खर्च (वकील का खर्च तथा प्रक्रिया की लागत भी शामिल है), लागत एवं देनदारी के मामलों में सारी जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी. ऐसे मामलों में

उपयुक्त पक्षों को किसी भी आरोप से बचाने की जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी.

14. अगर चयनित अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रक्रिया में असफल रहा तो:

- 1) सहपिडिया की संतुष्टि के अनुसार प्रदेय जमा करने में
- 2) समयसीमा एवं दिशानिर्देशों के पालन में
- 3) मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने में

सहपिडिया के पास यह शोधवृत्ति रद्द करने का अधिकार है. शोधवृत्ति रद्द करने के बाद सहपिडिया के पास यह अधिकार है कि वह दी गयी राशि को वापस ले सकती है एवं आगे की भुगतान राशि व शोधवृत्ति प्रमाणपत्र रोक सकती है. शोधवृत्ति रद्द होने की स्थिति में सहपिडिया द्वारा अभ्यर्थी को लिखित सूचना दी जाएगी. अगर ऊपर अंकित किसी भी कारण से सहपिडिया द्वारा अभ्यर्थी की शोधवृत्ति रद्द की जाती है तो उसे सहपिडिया-यूनेस्को शोधार्थी नहीं माना जाएगा.